जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति **दिनांक 24.06.2022**

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा कन्टेनर में 27 प्रतिबंधित पशु (कटरे छोटे व बडे) को भरकर ले जाते 06 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद।

आज दिनांक 24.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे पशु क्रूरता की रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक कन्टेनर नं0 NL-01Q-0921 से तिरपाल से ढककर 27 प्रतिबंधित पशु (कटरे छोटे व बडे) को ले जाते हुए 06 तस्कर को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. नसरुदीन पुत्र आसखान नि वासी ग्राम राजपुर कोकहुवान थाना फुनहाना जनपद नूह (हरियाणा)। 2. शहजाद पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम राजपुर कोकहुवान थाना फुनहाना जनपद नूह (हरियाणा)। 3. जुनैद पुत्र महरदीन नि वासी कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

4. राजू पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

5. हारुन पुत्र राशिद निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

6. शाहिद पुत्र साबुद्दीन निवासी मौहल्ला केतीपुर थाना बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

1- 27 प्रतिबंधित पशु (कटरे छोटे व बडे)।

2- एक कन्टेनर नं0 NL-01Q-0921।

3- अवैध 04 छुरे।

<u>**थाना कोतवाली**</u>

<u>**थाना कोतवाली पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए चोरी/लूट करने वाले 02 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 ट्रैक्टर, 01 ट्राली, 02 मोबाइल एवं चोरी की 05 मोटरसाइकिल एवं अवैध हथियार बरामदः-**</u>

आज दिनांक 24.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी/लूट/डकैती की घटनाओं के अनावरण एवं ऐसी वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सूचना पर चोरी/लूट की घटना में लिप्त 02 बदमाशों को गिरफ्तार करनें में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । जिनके कब्जे से चोरी व लूटे गये 03 ट्रैक्टर व 01 ट्राली, 02 मोबाइल एवं 05 मोटरसाइकिल तथा अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 चाकू बरामद हुए है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अपराध का तरीकाः- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो दोनो अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनो दोस्त है और हमने मिलकर एक साथ काफी चोरियाँ की है । मई 2022 में ग्राम मुंडेट से हमने आयशर ट्रैक्टर चोरी किया था और कुछ दिनो बाद रेलपार से ट्राली चोरी की थी । इससे पहले दिसंबर 2020 मे भी हमने मौ0 काकानगर से महेंद्रा ट्रैक्टर खाली प्लाट से चोरी किया था और उसी दौरान हमने एक नया महेन्द्रा ट्रैक्टर गगन विहार कालौनी शामली से भी चोरी किया था और बडौत क्षेत्र में ही खड़ा छोड़ दिया था । करीब 15 दिन पहले भी हमने एक महेन्द्रा ट्रैक्टर गैराज का ताला तोडकर चोरी करने का प्रयास किया था, परन्तु लोगो की जाग होने के कारण हम उसे बधेव नहर की पट्टरी के पास छोडकर भाग गये थे जिसे चुराने में सफल नही हो पाये थे । हम दोनों ट्रैक्टर चोरी के बाद ट्रैक्टर की पहचान छुपाने के लिए ट्रैक्टरो के रजिस्ट्रेशन व इंजन नंबर चैसिस नंबर मिटाकर नए नंबर गोदकर बना देते थे । आज हम लोग ट्रैक्टरों को बेचने के लिये हरियाणा जा रहे थे तो पुलिस वालों ने हमें पकड लिया इसके अलावा हमने बागपत मेरठ रोड स्थित ग्राम डोरला और बडौत व शामली से भी कई मोटरसाइकिले चोरी की थी । जिन्हे हमने झाडियों में छिपा रखा था । हम दोनों ने मिलकर मोटरसाइकिलों के अलावा मोबाइल भी चोरी किये थे, जिन्हें आज पुलिस द्वारा हम लोगो से बरामद किया गया है ।

<u>**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-**</u>

1-अमित उर्फ़ आर्यन पुत्र रणदेव निवासी पटटी गोपी बावली थाना बडौत जनपद बागपत हाल पता मौ0 अटल विहार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

2-विकास पुत्र कप्पन सिंह निवासी ग्राम खेडाहटाना सुल्तानपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

<u>**आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित उर्फ आर्यनः-**</u>

1-मु0अ0सं0 882/16 धारा 379/411 भादवि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 1370/17 धारा 41 सीआरपीसी थाना बडौत जनपद बागपत ।

3- मु0अ0सं0 506/20 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद शामली ।

4-655/20 धारा 379,411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद शामली ।

5-मु0अ0सं0 77/22 धारा 379,411 भादवि0 थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ।

6-मु0अ0सं0 83/22 धारा 379,411 भादवि0 थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ।

7-मु0अ0सं0 254/22 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद शामली ।

8-मु0अ0सं0 271/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली जनपद शामली ।

9-मु0अ0सं0 273/22 धारा 414,420,465,467,471 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद शामली ।

<u>**आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकासः-**</u>

1-मु0अ0सं0 506/20 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद शामली ।

2-मु0अ0सं0 655/20 धारा 379,411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद शामली ।

3-मु0अ0सं0 11/22 धारा 379 भादवि0 थाना बागपत जनपद बागपत।
4-मु0अ0सं0 77/22 धारा 379,411 भादवि0 थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
5-मु0अ0सं0 83/22 धारा 379,411 भादवि0 थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
6-मु0अ0सं0 254/22 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद शामली।
7-मु0अ0सं0 272/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली जनपद शामली।
8-मु0अ0सं0 273/22 धारा 414,420,465,467,471 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. 01 आयशर ट्रैक्टर रंग लाल रजिस्ट्रेशन नंबर BR-26G-8663 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 83/22 धारा 379 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली)।
2. 01 ट्राली चार पहिया (सम्बन्धित मु0अ0सं0 77/22 धारा 379 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली)।
3. 01 महेन्द्रा ट्रैक्टर नंबर HR-40E-1460 रंग लाल (सम्बन्धित मु0अ0सं0 655/20 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली शामली)।
4. 01 महेन्द्रा टैक्टर नंबर HR-17B-0948 रंग लाल (सम्बन्धित मु0अ0सं0 506/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली शामली)।
5. 01 मोटरसाइकिल HERO SPLENDOR PLUS रंग काला ग्रे पट्टी रजिस्ट्रेशन नंबर UP-19D-8501।
6. 01 मोटरसाइकिल HERO HF DELUXE रंग काला लाल पट्टी बिना नंबर (चैसिस नंबर MBLHAR200JGD25437 व इंजन नंबर HA11ENJGD25187)।
7. 01 मोटरसाइकिल HERO SPLENDOR PLUS रंग काला नीली पट्टी बिना नंबर (चैसिस नंबर MBLHA10EJA9E10955 व इंजन नंबर HA10EAA9E16504)
8. 01 मोटरसाइकिल HERO SUPER SPLENDOR रंग काला पट्टी लाल आगे पीछे नंबर DL-13SJ-2764।
9. 01 मोटरसाइकिल TVS CENTRA बिना नंबर रंग काली सुनहरी पट्टी (चैसिस नंबर MD(घिसा हुआ)4AH1252674226 व इंजन नंबर N5010010)।
10. 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
11. 01 चाकू नाजायज।
12. 02 मोबाईल फ़ोन (MI व VIVO कम्पनी के)।

थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत हुई मोबाइल लूट की घटना का किया सफल अनावरण, घटना में लिप्त अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल व नकदी, अवैध हथियार एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 24.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं ऐसी वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाली निवासी अर्जुन सिंह के साथ हुई मोबाइल लूट की घटना में लिप्त 01 अभियुक्त को लूट का 01 मोबाइल व नकदी, अवैध हथियार एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 12.06.2022 को कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री अर्जुन सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा ग्राम खेडीकरमू नहर पट्टरी पर शिवम व उसके साथी द्वारा उसको धमकाकर आईफोन-11 मोबाइल व 4500/- रूपये लूट कर ले जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया तथा घटना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी घटनास्थल एवं उसके आस-पास से एकत्रित की गई।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-शिवम उर्फ माठी पुत्र जयकुमार निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

1. मु0अ0स0 128/22 धारा 394,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।
2. मु0अ0स0 247/22 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. लूटी गई नकदी 660/- रुपये।

2-लूटा हुआ आई फोन-11 (एप्पल कम्पनी)।

3-अवैध 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

4-घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे न0 UP12-BF-2579।

<u>थाना झिंझाना</u>

थाना झिंझाना शामली क्षेत्रान्तर्गत हुई मोबाइल लूट की घटना का किया सफल अनावरण, घटना में लिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 02 बाल अपचारी हिरासत में, कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल व नकदी, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 24.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं ऐसी वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना निवासी रविन्द्र कुमार के साथ हुई मोबाइल लूट की घटना में लिप्त 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 02 बाल अपचारी को हिरासत में लिए जाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है , जिनके कब्जे से लूट का 01 मोबाइल व नकदी, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुए है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 23.06.2022 को झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री ज्योति निवासी ग्राम मछरौली थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा सिम्भालका रोड पर आशू व शिवम और उनके साथी द्वारा उसको धमकाकर मोबाइल, आधार कार्ड, पेन कार्ड व 1500/- रूपये लूट कर ले जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। सूचना पर थाना झिंझाना पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया तथा घटना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी घटनास्थल एवं उसके आस-पास से एकत्रित की गई।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1-सुमित पुत्र कृष्ण निवासी दरगाहपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

2-सतेन्द्र पुत्र सतीश निवासी दरगाहपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- लूटी गई नकदी 1500/- रुपये।

2- लूटा हुआ रेडमी मोबाइल।

3- आधार कार्ड व पेन कार्ड।

3- घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर न0 UP-19M-4295।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 24.06. 2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 20.06 .2022 को कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ छेडछाड करने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कैराना को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सावेज पुत्र हारून निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।